भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
7वां तल, मयूर भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

परिपत्र

सं. आई.बी.बी.आई./एल.आई.क्यू./68/2024 **13 फरवरी, 2024**

सेवा में,
समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक
समस्त मान्यताप्राप्त दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं
समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक एजेंसी
(रजिस्ट्रीकृत ईमेल पतों पर मेल द्वारा और आई.बी.बी.आई. की वैबसाइट पर)

महोदय/महोदया

विषयः भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 के विनियम 39 के अनुसार अदावाकृत लाभांशों और/या अवितरित आगमों का निक्षेप और प्रत्याहरण

1. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 के विनियम 39 में स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के दौरान अदावाकृत निक्षेपों और अवितरित आगमों के प्रबंधन के लिए एक ढांचे का उपबंध किया गया है । विनियम के अनुसार, परिसमापकों को अदावाकृत अवितरित रकमें कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में जमा करने के लिए और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(**आई.बी.बी.आई./बोर्ड**) को प्ररूप छ में, जिसमें जमा की गई ऐसी रकम के हकदार हितधारकों के संबंध में ब्यौरे अंतर्विष्ट हों, सूचित करने के लिए आदिष्ट किया गया है ।

2. विनियम 39(7) के अधीन किसी ऐसे हितधारक की ओर से, जो कारपोरेट व्यक्ति के विघटन से पूर्व कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में जमा की गई किसी रकम का प्रत्याहरण करने का हकदार होने का दावा करता है, प्राप्त अनुरोध को सुकर बनाने के लिए, परिसमापक, बोर्ड को **उपाबंध** के अनुसार, हितधारकों को आगे वितरित करने के लिए रकम के निर्मोचन के लिए आवेदन करेगा ।

3. यह परिपत्र दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 196 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है ।

भवदीय

हस्ता.

(राजेश तिवारी)

महाप्रबंधक

उपाबंध

परिसमापक द्‌वारा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 के विनियम 39 के अधीन हितधारकों को आगे वितरित करने के लिए कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में से प्रत्याहरण के लिए अनुरोध

प्रत्याहरण अनुरोध के ब्यौरे

क्रंम सं.	**वर्णन**	**विशिष्टियां**
(1)	**(2)**	**(3)**
1	कारपोरेट व्यक्ति का नाम	
2	कारपोरेट व्यक्ति का पहचान संख्यांक(सी.आई.एन एल.एल.पी.आई.एन.)	
3	स्वैच्छिक समापन प्रारंभ होने की तारीख	
4	कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में जमा करने की तारीख	
5	बोर्ड द्‌वारा जारी की गई अभिस्वीकृति सं.	
6	कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में जमा की गई रकम(रूपए)	
7	वह रकम जिसके प्रत्याहरण के लिए अनुरोध किया गया है(रूपए)	
8	उस हितधारक का नाम, जिसे यह रकम वितरित की जानी प्रस्तावित है	
9	क्रम संख्यांक जहां हितधारकों के नाम बोर्ड को प्रस्तुत की गई सूची में आता है	
10	ऐसी रकम को पहले वितरित न किए जाने का कारण	
11	प्रस्तुत अनुरोध के लिए न्यायोचित्य	
12	उस खाते के ब्यौरे, जिसमें रकम का प्रतिदाय किया जाना है क. बैंक का नाम ख. खाता संख्यांक ग. बैंक का नाम और पता घ. एम.आई.सी.आर. ङ आई.एफ.एस.सी.कोड (इसके साथ रद्‌द किए गए चैक की प्रति संलग्न करें)	

में.(परिसमापक का नाम) यह प्रमाणित करता हूं कि इस प्ररूप में दिए गए ब्यौरे, मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

(हस्ताक्षर)

परिसमापक का नाम

आई.पी.रजिस्ट्रीकरण सं.

बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत पता

बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत ईमेल आई.डी.

तारीख

स्थान